संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक / 6 / बजट–2210 / 2020–21 / 625 भोपाल,दिनांक 29/08/2020

प्रति,

1. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ।
2. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक।
3. अधीक्षक–जे.एस.आर इटारसी / रानी दुर्गावती जबलपुर / के.एन.के.भोपाल / टी.बी. अस्पताल छतरपुर / जबलपुर / सिविल अस्पताल बैरागढ़।

म0प्र0 ।

विषयः– स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑक्सीजन पर होने वाले व्यय के संबंध में निर्देश।

:-00-:

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रायः देखने में आ रहा है, कि जिला कार्यालयों से समय–समय पर ऑक्सीजन व्यय हेतु राज्य बजट से राशि की मॉग की जा रही है । प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑक्सीजन व्यय हेतु पृथक–पृथक बजट आवंटन प्राप्त होता है । राज्य बजट से मॉग करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा विस्तृत परीक्षण करना आवश्यक है । ऑक्सीजन व्यय के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट की जा रही है :–

1. कोरोना महामारी के मरीजों के उपचार के लिए जो भी ऑक्सीजन संबंधी व्यय किया जा रहा है उनके भुगतान हेतु कोविड–19 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्राप्त होने वाले बजट का उपयोग किया जाये ।
2. एस.एन.सी.यू. / पी.आई.सी.यू. अंतर्गत मरीजों के लिए उपचार में उपयोग होने वाली ऑक्सीजन का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्राप्त होने वाले बजट का उपयोग किया जाये । इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पत्र क्र. / एन.एच.एम. / शिशु स्वा. / 2020 / 9869 दिनांक 28.07.2020 जारी किया गया है ।
3. उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य संस्थाओं में भर्ती होने वाले मरीजों के उपचार में लगने वाली ऑक्सीजन का व्यय राज्य बजट अंतर्गत उददेश्य शीर्ष 34–002 –दवाईयॉ का कय मद में उपलब्ध राशि अंतर्गत व्यय किया जाये ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(डॉ. जे. विजयकुमार)
संचालक
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
म0प्र0

पृ. कमांक / 6 / बजट–2210 / 2020–21 / 626 भोपाल,दिनांक 29/08/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।